न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर, पीलीबंगा

पीठासीन अधिकारी :– रणजीत कुमार आर.ए.एस.

मुकदमा संख्या :– 56/2022

अनवान मुकदमा –

1. जसप्रीत सिंह पुत्र कुलदीप सिंह जाति जटसिख साकिन चक महाराजका तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान)।

-- वादी

बनाम

1. कुलदीप सिंह पुत्र मुकन्द सिंह जाति जटसिख साकिन चक महाराजका तहसील व जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।
2. हरप्रीत कौर पुत्री कुलदीप सिंह जाति जटसिख साकिन चक महाराजका तहसील व जिला श्रीगंगानगर राजस्थान ।
3. तहसीलदार (राजस्व) पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।

– – प्रतिवादीगण

–:: वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 रा.का.अधि. बाबत घोषणा ::–

–:: उपस्थित अभिभाषक ::–

1. श्री हरजिन्द्र सिंह रमाणा अधिवक्ता -- वादी
2. श्री नवीन जैन् अधिवक्ता -- प्रतिवादीगण सं. 1 व 2
3. तहसीलदार (राजस्व) पीलीबंगा -- प्रतिवादी संख्या 3

–:: निर्णय :–

दिनांक – 22/2/2022

वादी ने प्रतिवादीगण के विरूद्व जरिये अधिवक्ता यह वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.ए. के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत किया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी एवं प्रतिवादीगण का पंजीकृत एवं प्रमाणित पता वही है जो वाद पत्र के शीर्षक में अंकित किया गया है। वाद में वादी का सजरा खानदान अंकित किया गया है। प्रतिवादी सं. 1 के नाम कृषि भूमि तहसील पीलीबंगा के चक 22 एसटीजी के मु. खाता सं. 19/38 के प. नं. 52/304 (22) किला नं. 16, 24, 25, प. नं. 52/305 (25) किला नं. 2 ता 25 प.नं. 52/306 (36) किला नं. 1, 2/1, 2/2, 3, 10/1, 10/2 की कुल 6.172 हैक्टेयर नहरी मय गैर मुमकिन खाला खातेदारी में 20571/61720 हिस्सा दर्ज रिकार्ड वाके है। नकल जमाबंदी वाद पत्र के संलग्न की गई है।

प्रतिवादी सं. 1 के नाम कृषि भूमि तहसील सादुलशहर के चक 11 बीजीएस के खाता सं. 9/7 के प. नं. 0 मु. नं. 43 [illegible] 3/3, 3/4, 4/1, 4/2, 5/1, 5/2, 7 ता 8, 13 ता 15 [illegible] किन खाला खातेदारी दर्ज रिकार्ड वाके है। नकल जमाबंदी वाद पत्र [illegible] संलग्न की गई है। वादपत्र की दफा 3 में वर्णित भूमि प्रतिवादी सं. 1 का अपनी मात [illegible] विरास्तन में प्राप्त हुई है मौसी जसवीर कौर के हिस्सा की बंटवारा में प्राप्त हुई है। जो वादी की पैतृक कृषि भूमि है। जिसमें वादी का जन्म से हक व हिस्सा निहित है। उक्त पैतृक कृषि भूमि बाबत वादी व प्रतिवादीगण के मध्य अर्सा दराज पूर्व घरू बंटवारा हो चुका है जिसमें

Signature Not Verified
Digitally signed by Ranjeet Kumar
Date: 2022.04.24 16:58:59 IST
Reason: SelfAttested

22/02/2022
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

प्रतिवादीगण ने अपना तमाम हिस्सा वादी के पक्ष में छोड़ दिया है वे इस भूमि में अपना हक व हिस्सा नहीं लेना चाहते है। वाद पत्र की दफा 3 में वर्णित भूमि तहसील पीलीबंगा के चक 22 एसटीजी के मु. खाता सं. 19/38 के प. नं. 52/304 (22) किला नं. 16, 24, 25, प. नं. 52/305 (25) किला नं. 2 ता 25 प.नं. 52/306 (36) किला नं. 1, 2/1, 2/2, 3, 10/1, 10/2 की कुल 6.172 हैक्टेयर नहरी मय गैर मुमकिन खाला खातेदारी में 20571/61720 हिस्सा वादी अकेले को प्राप्त हुई है। वाद पत्र की दफा 3 में वर्णित भूमि वादी को प्राप्त हुई है। वादी को घरू बंटवारा में प्राप्त भूमि राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी सं. 1 के नाम दर्ज होने के कारण वादी की हकूक खातेदारी पर विपरीत असर पड़ता है। इसलिये वादी अपनी घरू बंटवारा में प्राप्त कृषि भूमि की खातेदारी घोषणा प्राप्त करने के हकदार है।

वाद पत्र की मद सं. 3 में वर्णित कृषि भूमि वादी की पैतृक कृषि भूमि है जो प्रतिवादी सं.1 को वादी के माता से विरास्तन में मिली है व मौसी जसवीर कौर के हिस्सा की बंटवारा में प्राप्त हुई है। जो वादी की पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म से हक व हिस्सा निहित है। उक्त पैतृक कृषि भूमि बाबत वादी व प्रतिवादी सं. 1 व 2 के मध्य अर्सा दराज पूर्व घरू बंटवारा हो चुका है जिसमे प्रतिवादीगण ने अपना समस्त हिस्सा वादी के पक्ष में छोड़ दिया है। इस प्रकार वादी शान्तिपूर्वक काबिज होकर काश्त करते आ रहे है। वादी को प्राप्त भूमि राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी सं. 1 के नाम दर्ज होने के कारण वादी की हकूक खातेदारी पर विपरीत असर पड़ता है इसलिये वादी खातेदारी घोषणा प्राप्त करने का हकदार है।

अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद वादी निम्न प्रकार से डिक्री फरमाया जावे :- वादी को तहसील पीलीबंगा के चक 22 एसटीजी के मु. खाता सं. 19/38 के प. नं. 52/304 (22) किला नं. 16, 24, 25, प. नं. 52/305 (25) किला नं. 2 ता 25 प.नं. 52/306 (36) किला नं. 1, 2/1, 2/2, 3, 10/1, 10/2 की कुल 6.172 हैक्टेयर नहरी मय गैर मुमकिन खाला खातेदारी में 20571/61720 हिस्सा खातेदार काश्तकार घोषित किये जावे।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया व प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। दिनांक 21.02.2022 को वादी व प्रतिवादीगण मय अधिवक्तागण न्यायालय में हाजिर आये। उभयपक्ष द्वारा हस्ताक्षरित तहरीरशुदा राजीनामा अदालत हाजा के समक्ष पेश किया और प्रार्थना की गई कि दोनो पक्षों में राजीनामा हो चुका है। राजीनामा तस्दीक फरमाया जाकर वाद को डिक्री फरमाया जावे। प्रस्तुत राजीनामा पर उभयपक्ष की पहचान जरिये अधिवक्ता व जरिये दस्तावेज की गई। पहचान सिद्व होने पर राजीनामा तस्दीक किया जाकर [illegible] उभय पक्ष सुनी गई। इस सम्बंध में आरआरडी 1981 पेज 512 [illegible] धारा 40-53, 38-39-40, आरआरडी 1966 पेज 71 एआई[illegible] 78 आरआरडी पेज 219 आरआरडी 1975-478, एआईआर 1966 (एससी) 432 आरआरडी 1975 पेज 489 की नजीर प्रस्तुत करते हुए आरटीए की धारा 53 [illegible] व्याख्या करते हुए कथन किया कि आपसी समझौते या अदालत के आदेशानुसार बंटवारा किया जा सकता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ranjeet Kumar
Date: 2022.04.24 16:38:59 IST
Reason: SelfAttested

21/02/2022
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

राजस्थान काश्तकारी (बोर्ड ऑफ रेवन्यु) अधिनियम 1955 के नियम 19 व आदेश 12 नियम 6 एवं आदेश 23 नियम 3 सीपीसी में समझौते के आधार पर वाद डिक्री किया जा सकता है। राजस्व (ग्रुप-6) विभाग जयपुर के पत्रांक प. 5(1)राज/6/97/10 दिनांक 08.09.1997 के अनुसार सह कृषको में जोत के विभाजन की सहमति हो जाये तो ऐसी सहमति के आधार पर डिक्री की जा सकती है। हिन्दु उतराधिकार विधि के अनुसार का पैतृक सम्पंति में जन्म से ही अधिकार है। इसलिये पुत्र का पैतृक सम्पति में से जोत का विभाजन करवा सकता है।

एआईआर 1976 एससी 807 के अनुसार यदि हिन्दु उतराधिकार अधिनियम के अनुरूप हिस्सा प्रदान न किया गया हो या किसी का हिस्सा कम ज्यादा हो तो माननीय उच्चतम न्यायालय ने पारिवारिक समझौते को अधिक मान्यता दी है। पारिवारिक समझौता धोखाधड़ी या किसी के प्रभाव में न हो तो उस पारिवारिक समझौता को मान्यता दी जा सकती है। जिससे वाद कम हो, पारिवारिक समझौता पक्षकारान द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत किया गया हो।

-:: आदेश ::-

विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया। वादीगण एवं प्रतिवादीगण की ओर से पत्रावली मे प्रस्तुत दस्तावेजात का अवोकन किया गया। अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त का सम्मान अध्ययन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया बाद अवलोकन पाया कि वाद में वर्णित कृषि भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण की पैतृक खातेदारी भूमि है जो जद्दी जायदद होने के कारण उभयपक्ष के मध्य हुए राजीनामा के अनुसार लोक अदालत की भावना से वाद वादी स्वीकार किया जाना न्यायोचित है। पत्रावली का अवलोकन किया गया। राजीनामा के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 के अन्तर्गत वाद में वर्णित भूमि तहसील पीलीबंगा के तहसील पीलीबंगा के चक 22 एसटीजी के मु. खाता सं. 19/38 के प. नं. 52/304 (22) किला नं. 16, 24, 25, प. नं. 52/305 (25) किला नं. 2 ता 25 प.नं. 52/306 (36) किला नं. 1, 2/1, 2/2, 3, 10/1, 10/2 की कुल 6.172 हैक्टेयर नहरी मय गैर मुमकिन खाला खातेदारी में 20571/61720 हिस्सा का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

तहसीलदार (राजस्व) पीलीबंगा को आदेशित किया जाता है कि इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में अमलदरामद किया जावे। आदेशानुसार डिक्री जारी हो। खर्चा फरीकैन अपना-अपना वहन करेंगे। पत्रावली निर्णय सुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ranjeet Kumar
Date: 2022.04.24 16:58:59 IST
Reason: SelfAttested

22/04/2022

(रणजीत कुमार)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर
पीलीबंगा